कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल 462004

क्रमांक– 843 /205/आउशि/बजट/2018 भोपाल, दिनांक 27-4-2018

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश

विषय– "योजना कमांक 5551– आधुनिक तकनीकि से शिक्षण व्यवस्था" योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए बजट आबंटन संबंधी।

उपरोक्त विषय में ज्ञात हो कि योजना कमांक 5551 आधुनिक तकनीकि से शिक्षण व्यवस्था एवं योजना कमांक 8808–सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य योजना अन्तर्गत महाविद्यालयों को विगत वर्षो में समय–समय पर उनकी मांग के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध बजट के आधार पर आबंटन जारी किया गया है।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में योजना कमांक 8808–सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य योजना को योजना कमांक 5551 में सम्मिलित (मर्ज) किया गया है। अतः वर्ष 2018–19 के लिए योजना कमांक 5551 में बजट प्रावधान है। अतः जिन शासकीय महाविद्यालयों को योजना अन्तर्गत विद्यार्थियों के लिए आधुनिक तकनीकि से शिक्षण व्यवस्था हेतु सामग्री/स्मार्ट क्लास रूम सामग्री तथा कम्प्यूटर,प्रिंटर,स्केनर इत्यादि की आवश्यकता है, वह न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार निम्नलिखत प्रारूप में प्रस्ताव दिनांक 21.05.2018 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें :–

प्रारूप

महावि. का नाम .... कुल छात्र संख्या ....सामान्य...............एस.टी................एस.सी......
वर्तमान में संचालित स्मार्ट कक्षाओं की संख्या......................

क.	सामग्री का नाम	महावि. में वर्तमान में उपलब्ध सामग्री की संख्या	अतिरिक्त आवश्यकता (संख्या)	दर	कुल राशि

– उक्त योजना अन्तर्गत यदि गतवर्ष आंबटन प्राप्त हुआ है तो प्रस्ताव नहीं भेजें। यदि विशेष आवश्यकता है तो कारण स्पष्ट करते हुए न्यूनतम आवश्यकता अनुसार ही प्रस्ताव भेजें।
– उपरोक्त सामग्री/प्रस्ताव के संबंध में आवश्यकता का औचित्य तथा कय समिति की अनुशंसा एवं जहां से सामग्री कय की जाना है उसकी दर के साथ प्रस्ताव भेजें।
– उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राचार्य के हस्ताक्षरयुक्त पत्र बजट शाखा के ई–मेल budgethedu@mp.gov.in मेल करें एवं हार्ड कॉपी उपलब्ध करायें।
– प्रस्ताव पूर्ण औचित्य के साथ स्पष्ट होना चाहिए। अपूर्ण एवं अस्पष्ट तथा समयावधि में प्राप्त नहीं होने वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जावेगा।

27/4/18

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश